प्रेस–नोट

यूपी राज्य डिस्कॉम के लिए वित्तिय वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ आदेश

दिनांक : 10 अक्टूबर, 2024

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आयोग द्वारा निर्धारित विद्युत दर

सभी उपभोक्ता श्रेणियों द्वारा देय टैरिफ दरों को लगातार 5वें वर्ष अपरिवर्तित रखा गया

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की ईवी टैरिफ दरें, राज्य सड़क परिवहन ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर भी लागू करने की अनुमति

ग्रीन इनर्जी टैरिफ को रू0 0.44 प्रतियूनिट से घटाकर 0.36 रूपये प्रतियूनिट किया गया

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) पर मेट्रो रेल सेवाओं के समान ही टैरिफ लागू

आईटी और आईटीईएस उद्योगों के लिए औद्योगिक टैरिफ श्रेणी की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू करने के लिए प्रविधान

विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वितरण हानियों को आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वितरण हानि ट्रेजेक्टरीं के समान रखा गया

3 से 5 किलोवाट तक अनुबंन्धित भार वाले उपभोक्ताओं को भी 3 फेज कनेक्शन लेने का विकल्प

उपभोक्ता की अनुमति पर बिलों की डिलीवरी ईमेल, व्हाट्सएप सहित इलेक्ट्रानिक माध्यमों से करने की अनुमति

एकल बिन्दु कनेक्शन धारकों द्वारा निवासियों को बिलिंग जानकारी का खुलासा न करने दण्ड निर्धारित

स्वीकृत भार के स्वतः संशोधन सम्बन्धित व्यवस्था को पारदर्शी रूप से अंगीकृत किया गया

गर्मी के महीनों के लिए की टी0ओ0डी0 टैरिफ के समय स्लाटों में परिवर्तन किया गया

वित्तीय वर्ष 2022–23 के ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2023–24 के वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) और वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिग राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को शामिल करते हुए 5 डिस्काम के टैरिफ आर्डर को आयोग द्वारा हितधारकों, जनता और राज्य सलाहकार समिति की आपत्तियों, टिप्पणियों और सुझावों पर विचारोपरान्त अन्तिम रूप दिया गया और जारी किया गया। टैरिफ आदेश की महत्वपूर्ण विशेषतायें निम्नवत है:

5 स्टेट डिस्काम्स हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 का ट्रूअप

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 5 डिस्काम्स की 1,37,289.49 (मिलियन यूनिट) की विद्युत खरीद एवं रूपये 71,591.42 करोड़ की समेकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के दावे के समकक्ष आयोग द्वारा 128014.10 (मिलियन यूनिट) एवं रूपये 65,424.74 करोड़ अनुमोदित किए गये हैं। अनुज्ञप्तिधारिकों द्वारा 16.65 प्रतिशत की वास्तविक वितरण हानि के दावे के समकक्ष आयोग द्वारा विजनेस प्लान के अनुरूप केवल 10.67 प्रतिशत की वितरण हानियां अनुमोदित की गई हैं। अनुज्ञापिधारिकों को प्राप्त हुई शासकीय अनुदान की राशि रूपये 14,611.92 करोड़ को तथा रूपये 64,461.32 करोड़ के टैरिफ राजस्व को सुविचारित करते हुय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये रूपये 2,262.78 करोड़ का अधिशेष निर्धारण किया है।

5 स्टेट डिस्काम हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 का एआरआर

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 5 डिस्काम्स की 1,47,901.52 (मिलियन यूनिट) की विद्युत खरीद एवं रूपये 1,01,783.45 करोड़ की समेकित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के दावे के समकक्ष आयोग द्वारा 1,47,904.69 (मिलियन यूनिट) एवं रूपये 96,225.02 करोड़ अनुमोदित किए गये हैं। अनुज्ञप्तिधारिकों द्वारा 13.09 प्रतिशत की वितरण हानि के दावे को आयोग ने RDSS स्कीम के अनुरूप अनुमोदित किया है। राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में रूपये 17,511.88 करोड़ की राशि प्रदान की गयी, जो पिछले वष से रूपये 2,900 करोड़ अधिक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान टैरिफ से उपभोक्ताओं द्वारा देय रू0 75,351.19 करोड़ राशि को आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए रूपये 5,618.75 करोड का विनियामक अन्तर अनुमानित है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारिका के लिये रूपये 1,944.72 करोड़ का संचयी अधिशेष (क्यूमुलेटिव सरप्लस) निर्धारित किया गया तद्नुसार आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए किसी भी टैरिफ वृद्धि को स्वीकृति नहीं दी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषतायें:

i) किसी भी उपभोक्तावर्ग द्वारा देय टैरिफ में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

ii) अनुज्ञापिधारिकों के वितरण हानि लक्ष्यों को RDSS स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित वितरण हानि लक्ष्यों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये 13.09 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

iii) ओपेन एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए, क्रास सब्सिडी सरचार्ज (सीएसएस) को वित्तीय वर्ष 2023–24 पर सीमित कर दिया गया है।

iv) ग्रीन टैरिफ जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में रूपये 0.44/यूनिट थी को वित्तीय वर्ष 2024–25 में रूपये 0.36/यूनिट कर दिया गया है, जो गत वर्ष से रू0.08/यूनिट कम है।

v) अधिकांश श्रेणी के उपभोक्ता ईवी चार्जिंग के लिए अपने मौजूदा कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। शहरी परिवहन विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ताकि वे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर लागू सिंगल पार्ट टैरिफ का लाभ उठा सकें।

vi) बहुमंजिला इमारतों/कालोनियों में सिंगल प्वांइट कनेक्शन धारकों द्वारा अधिक विद्युत शुल्क वसूलने के सम्बन्ध में निवासियों की शिकायतों का समाधान करने और पारदर्शिता लोने के लिए, आयोग ने बिलिंग जानकारी के प्रकटीकरण के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधान किये हैं और गैर अनुपालन के मामले में सिंगल प्वांइट फ्रन्चाइजी पर दण्डात्मक प्रावधान भी किये गये हैं।

vii) एलएमवी–6 और एचवी–2 की उपभोक्ता श्रेणियों लिये ग्रीष्मकाल के दौरान टीओडी समय स्लॉट को संशोधित औसत लोड वक्रों (लोड कर्ब्स) को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

viii) आयोग ने 3 किलोवाट से 5 किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं को भी थ्री फेज़ कनेक्शन का विकल्प दिया।

ix) ईमेल या व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से बिलों की डिलीवरी की अनुमति प्रदान की गयी है, बशर्ते उपभोक्ताओं को पूरी बिलिंग जानकारी प्रदान की जाय एवं बिल अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।

x) आयोग ने स्मार्ट मीटर के कनेक्शन काटने और दोबारा जोड़ने पर लगने वाले 50 रूपये के शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

xi) विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, अधिकतम मांग में वृद्धि के मामले में, जहाँ रिकार्ड की गई अधिकतम माँग एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार स्वीकृत भार सीमा से अधिक हो गयी है, वहाँ उनमें से सबसे कम माँग पर उपभोक्ता को आधार बताते हुए अगले वित्तीय वर्ष से उसका भार बढ़ाये जाने का प्रावधान।

xii) सरकार ने आईटी/आईटीईएस उद्योगों की कुछ श्रेणियों को एचवी–2 औद्योगिक श्रेणी दरों का लाभ देने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है। सरकार के नीतिगत निर्णय को लागू करने के लिए सक्षम प्रावधान दिया गया।

xiii) आयोग ने स्मार्ट मीटर की स्थापना पर होने वाले किसी भी खर्च का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की अनुमति नहीं दी है।

टैरिफ लाइसेंसधारी द्वारा कम से कम दो हिन्दी और दो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से सात दिनों के बाद लागू होगा।

सभी टैरिफ आदेश आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं।

शैलेन्द्र गौर

सचिव

PRESS NOTE OF TARIFF ORDER FOR UP STATE DISCOMs FOR FY 2024-25

Dated: October 10, 2024

UPERC finalises Electricity Tariff Rates for State DISCOMs for FY 2024-25

Keeps the Tariff rates payable by all consumer categories unchanged for 5th consecutive year

Makes EV Tariff rates of Public Charging Stations applicable to State Road Transport EV charging stations also

Reduces Green Energy Tariff from Rs 0.44 per Unit to Rs 0.36 per Unit

Regional Rapid Transit System (RRTS) to be charged same Tariff as applicable to Metro Rail Services

Enabling provision created for implementing policy decision of GoUP regarding applicability of industrial tariff category for IT&ITES industries as per policy

Aligns Distribution Loss trajectories with those approved by Ministry of Power, GOI under Revamped Distribution Sector Scheme

Consumers with contracted load from 3-5 KW enabled to apply for 3-phase connection

Clarifies that delivery of Bills is permissible through Electronic means including e-mail or whatsapp based on consumer choice

Prescribes procedure and penalties for non disclosure of billing information by single point connection holders to residents

Aligns provisions for automatic revision of sanctioned load by Licensee with Electricity Rights of Consumers) Rules, 2020

Changes time slots for applicability of Time of the Day Tariff for Summer months

The Tariff Order of 5 State Discoms comprising of True-up of FY 2022-23, Annual Performance Review (APR) of FY 2023-24 and Annual Revenue Requirement (ARR) of FY 2024-25 has been finalized by the UPERC after taking into consideration the objections, comments & suggestions of the stakeholders, public and the State Advisory Committee. Important features of the Tariff Order are as below:

True up of 5 State Discoms for FY 2022-23

The consolidated Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2022-23 of the 5 State Discoms for purchase of 128,014.10 (Million Units) approved by the Commission is Rs 65,424.74 Crore as against claim for purchase of 137,289.49 MU for Annual Revenue Requirement (ARR) of Rs. 71,591.42 Crore. The Licensees claimed actual Distribution Losses of 16.65% whereas the Commission has approved Distribution Losses of only 10.67% as per the approved Business Plan. The Commission has considered State Government subsidy as Rs. 14,611.92 Crore as received by the State Discoms from the State Government. The revenue from Tariff of Rs. 64,461.32 Crore is determined by the Commission. As a result, there is a surplus of Rs. 2,262.78 Crore in the regulatory account for FY 2022-23.

ARR of 5 State Discoms for FY 2024-25

The Commission has approved a consolidated Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2024-25, Rs. 96,225.02 Crore for purchase of 147,904.69 MU as against a projected Annual Revenue Requirement (ARR) of Rs. 101,783.45 Crore filed by State DISCOMs for purchase of 147,901.52 MU. The Commission has approved Distribution Losses of 13.09% as claimed by

the State Discoms' in line with the RDSS Scheme. A subsidy of Rs. 17,511.88 Crore will be provided by the State Government which is Rs 2900 Cr more than last year. Besides Government subsidy, revenue from existing Tariff of Rs. 75,351.19 Crore payable by consumers has been approved by the Commission. As a result of this there will be a regulatory gap of Rs. 5,618.75 Crore for FY 2024-25. Commission has determined that the State Discoms will have a cumulative regulatory surplus of Rs. 1,944.72 Crore in FY 2024-25. Accordingly Commission has not approved any Tariff hike for FY 2024-25.

Salient features of Tariff Order for the FY 2024-25:

i. There is no increase in Tariff payable by any consumer category.
ii. The Commission has aligned the Distribution Losses targets with RDSS Scheme and has accordingly approved Distribution Losses of 13.09% for the State Discoms.
iii. To promote Open Access, the Cross Subsidy Surcharge (CSS) has been capped at CSS determined in FY 2023-24.
iv. Green Tariff has been reduced from Rs. 0.44/unit in FY 2023-24 to Rs. 0.36/unit in FY 2024-25.
v. Most categories of consumers can use their existing connections for EV charging. Request of Department of Urban Transport has been accepted to enable them to avail single part tariff applicable to Public Charging Stations.
vi. To address complaints from residents with regard to overcharging by Single Point connection holders in Multi Storied Buildings/ Colonies and bring in transparency, the Commission has made procedural provisions for disclosure of billing information and introduced penal provisions on Single Point Franchisee in case of non-compliance of directions.
vii. ToD time slots during Summers for applicable categories namely – LMV-6 and HV-2 have been amended keeping in view the revised average load curves.
viii. The Commission has allowed consumers with sanctioned load of 3kW to 5 kW to obtain three phase connection for availing better power supply.
ix. It has been clarified that the delivery of bills through email or WhatsApp or any other electronic means is permitted provided complete billing information is provided to consumers and bill is duly signed by an authorised representative.
x. The Commission has abolished charges of Rs 50 related to disconnection and reconnection of Smart Meters.
xi. In accordance with Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, that in case of maximum demand exceeding the sanctioned load at least thrice in a financial year, the sanctioned load can be automatically increased by Licensee from the first billing cycle of next financial year and the basis of such revision shared with consumer.
xii. Government has taken a policy decision for giving benefit of HV-2 industrial category rates to certain categories of IT/ITeS industries. An enabling provision has been created to implement the policy decision of the Government.
xiii. The Commission has also not allowed any expenditure towards installation of Smart Meters to be passed on to the consumers.

The Tariff shall be in force after seven days from the date of publication by the licensee in at least two Hindi and two English daily newspapers. All the Tariff Orders have been uploaded at www.uperc.org

Shailendra Gaur
Secretary